पुरूष घरेलू हिंसा ''एक समाजशास्त्रीय अध्ययन''

पल्लवी श्रीवास्तव, शोध छात्रा, समाजशास्त्र,डॉ0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या
प्रो0 (डॉ0) श्रीमती सुषमा पाठक, शोध पर्यवेक्षक, विभागाध्यक्ष समाजशास्त्र
राजामोहन गर्ल्स पी0जी0 कॉलेज, अयोध्या।
https://doi.org/10.61410/had.v19i1.166

घर की चहारदीवारी के भीतर पुरूषों पर हो रहे अत्याचार की संख्या में आए दिन बढ़ोत्तरी देखने को मिल रही है जो पुरूष सब कुछ सहन करते हुए जीवन व्यतीत करते है उनको तो नही लेकिन जो पुरूष अपने तथा अपने परिवार के प्रति रवैये का विरोध करते है उन्हें दहेज तथा घरेलू हिंसा जैसे झूठे आरोपों में फंसाकर सलाखों के पीछे ढकेल दिया जाता है।

दोषी या निर्दोष 498ए के तहत बिना किसी जांच या पड़ताल के सिर्फ आरोपो की वजह से लाखो लोग गिरफ्तार हो चुके है।

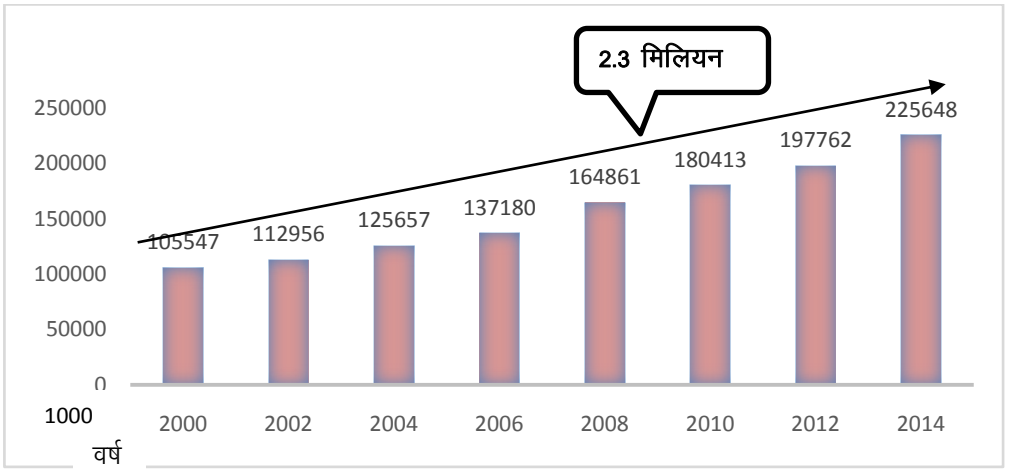

पिछले डेढ़ दशक को 23 लाख लोगो को अकेले इस कानून के तहत गिरफ्तार किया गया है जो आईपीसी के तहत किसी भी अन्य कानून की तुलना में ज्यादा हे चोरी और चोट जैसे क्षति अपराधो को छोड़कर

चोरी
आहत
उपद्रव
उपद्रव
498ए
हत्या
डकैती
लूट–पाट
बलात्कार
बेईमानी
आगजनी
सेंधमारी
अपहरण

2.3मिलियन

कानून के तहत रिश्तेदार की कोई स्पष्ट परिभाषा न होने के कारण बच्चों को भी नहीं बख्शा जाता है।

पुरूष : 19.6 लाख	महिला : 5.6 लाख	बच्चे : 7,594 लाख

NCRB 1998-2014

उल्लेखनीय है कि 2005 में उच्चतम न्यायालय ने इसे कानूनी आतंकवाद की संज्ञा दी थी। वहीं विधि आयोग ने अपने 15वीं रिपोर्ट में इस बात को स्पष्ट शब्दों में स्वीकारा था कि अब पीसी की धारा 1498ए का दुरूपयोग हो रहा है। अब यहाँ महत्वपूर्ण प्रश्न यह उठता है कि ऐसा क्यों? दरअसल सम्पूर्ण भारतीय समाज एक सामाजिक सांस्कृतिक संक्रमण काल से गुजर रहा है, जहाँ रिश्तों में भौतिकता ने घुसपैठ कर ली है और संबंधो में प्रेम खत्म हो रहा है, जिसके चलते अहम टकराने लगी हैं। इन परिस्थितियों के बीच विगत कुछ दशकों में एक और परिवर्तन आया है। महिलाएं शिक्षित हुई है। उन्होंने अपने विधिक अधिकारों को जाना है। हांलाकि यह किसी भी समाज एवं देश की उन्नति के लिए आवश्यक भी है परन्तु इसके साथ निजी स्वार्थो की पूर्ति के लिए कानूनी संरक्षण के अन्तर्गत मिले प्रावधानों का दुरूपयोग जैसा दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य भी जुड़ा है।

घरेलू हिंसा विरोधक अधिनियम महिलाओं को घरेलू हिंसा से सुरक्षा देने की बात तो करता है, परन्तु कही भी पुरूषो के साथ होने वाली हिंसा के संदर्भ में चर्चा नहीं करता। यानी विधि निर्माता इस मिथक को स्वीकार कर बैठे है कि पुरूष घरेलू हिंसा का शिकार नहीं हो सकते, परन्तु क्या यह वाकई संभव है। पूरी दुनिया में करीब 40 प्रतिशत पुरूष घरेलू हिंसा के शिकार है। अध्ययन बतो है कि महिला और पुरूष अगर एक ही अपराध करें तो उसके लिए पुरूषों के जेल जाने के आसार महिलाओं के मुकाबले तीन से चार गुना ज्यादा होते है। 'इंडियन जर्नल ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन' के मुताबिक 21 से 49 वर्ष के 53 प्रतिशत पुरूषों के साथ सिर्फ इसलिए हिंसा होती है क्योंकि वे पुरूष है। विश्व भर में घरेलू हिंसा से सुरक्षा संबंधी कानून स्त्री और पुरूष में कोई भेद नहीं करता। यही कारण है कि जर्मनी में पिछले वर्ष 26 हजार पुरूषों ने अपने विरूद्ध हो रही घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज करवाई। वही मौक्सिको में घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज करवाई। मैक्सिको में घरेलू हिंसा के कुल पीड़ितों में करीब 25 प्रतिशत पुरूष है। क्या यह कल्पनीय है कि भारत में कोई पुरूष अपने विरूद्ध हो रहे घरेलू हिंसा के मामलो को दर्ज करवा सके, क्योंकि यह सामान्य जन के लिए सहज विश्वसनीय नहीं होगा। अगर कोई पुरूष पौरूष से जुडे मिथको को तोड़ते हुए ऐसा साहस कर भी ले तो उसके पास यह कानूनी संरक्षण नहीं है, जो उसे त्वरित राहत दे सके, सिवाय एक लंबी कानूनी प्रक्रिया को अपनाने के लिए इस दौर में हर कोई महिला के अधिकारों को लेकर तो संघर्ष कर रहा है लेकिन पुरूषों के लिए कानून कहाँ है, जो महिलाओं द्वारा झूठे मामलों में फंसा दिये जाते हैं। इस बारे में कदम उठाने के बारे में विचार करना होगा। पुरूषों के अधिकारों की पैरवी में राज्यसभा सदस्य सोनल मानसिंह ने संसद में महिला दिवस की तरह पुरुष दिवस जोर शोर से मनाने की वकालत की।

पुरूषो के विरूद्ध घरेलू की चहारदीवारी में पुरूषों के प्रति मानसिक या शरीरिक दुर्व्यवहार है जो विवाह पश्चात् उनपर उनकी पत्नी या साथी द्वारा किया जाता है।अक्सर हम सुनते आये है कि घरेलू हिंसा कि शिकार महिलाए होती हैं लेकिन क्या हमने सुना हैं कि एक पुरूष भी घरेलु हिंसा का शिकार होता है। ये कहना सत्य है कि पुरूष महिलाएं के मुकाबले का शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं परंतु इसका तात्पर्य यह कतई नही कि वे घरेलू हिंसा नही सहते है। हमारे समाज में अनेकानेक पुरूष ऐसे है जो घरेलू हिंसा से पीड़ित हैं परन्तु वह चहकर भी अपने ऊपर हो रहे अत्याचार को किसी से कह नहीं पांते क्यों कि पुरूषो के विरूध्द उनकी पत्नी साथी द्वारा हिंसा को महिला के विरूध्द हिंसा की तुलना में समाज द्वारा कम मान्याता दी जाती है। जब कोई पुरूष घरेलु हिंसा का शिकार हैं तो कानून आयोग पुरूष रिपोर्ट दर्ज करने मे रूचि प्रकट नही करते क्योकि तथा कानून यह पूर्ण रूप से मनाने को तैयार ही नही हैं कि पुरूष भी घरेलू हिंसा का शिकार हो सकता है पुरूषों के खिलाफ घरेलू हिंसा अनुसंधान का एक विवाद क्षेत्र हैं। कुछ लोगां का तर्क हैं कि जो लोग महिला प्रचारित हिंसा पर ब्यान केडित करते हैं वे नारी विरोधी प्रतिकिया का हिस्सा है औ घरेलू हिंसा शिकार महिलाओं के मुद्दे पर पुरूष घरेलू हिंसा की वकालत करके पुरूष प्रचारित दृर्व्यवहार की समस्या को कम करने ेा प्रयास कर रहे हैं।पुरूषो के खिलाफ हिंसा एक महत्वपूर्ण तथा कम शिकायत की जाने वाली समस्या है घरेलू हिंसा नरीवाद के प्रभाव में आंकलित एक शब्द है जिसमें पुरूषों के खिलाफ घरेलू हिंसा को नजरअंदाज किया जाता है।इग्लैण्ड़ और वेल्स में 1995 के होम आफिस रिसर्ज स्टडी 199'' ने 16से 59 वर्ष की आयु के बीच 10'844 लोगों (5886 महिलाएं और 4958 पुरूषो का)सर्वेक्षण किया

जिसमें पाया कि 4 2/ पुरूषों ने महिला साथी द्वारा हिंसा की 66 मिलियन घटनाओं मे से 325 मिलियन में पुरूष पीड़ित शामिल थे जिसमें से 1 मिलियन घटनाओं में पुरूषों को शारीरिक चोट लगी थी। आयरलैण्ड गणराज में 2005 में राष्ट्रीय अपराध परिषद द्वारा किये गए सर्वेक्षण में पाया गया कि 15 प्रतिशत महिला तथा 6 प्रतिशत पुरूषो को अपने जीवन में गंभीर अंतरंग साथी हिंसा का सामना पड़ा जो लगभग 213000 महिलाओं और 88000 पुरूषों के बराबर हैं। अध्ययन करते समय भी जानकारी प्राप्त कि गई उसमें अत्यंत कठिनाई अनुभव की गई यह संभवतः पुरूषों के मन में व्याप्त भय के कारण है कि उनकी सच्चाई जानने के बाद उनका तिरस्कार किया जाएगा उन्हे उपहास से गुजरना पडेगा तथा उनपर विश्वास नही किया जाएगा। कुम्ब्रिया विश्वविद्यालय के डॉ0 एलिजाबेथ बेट्स के शोध पत्र में पाया गया कि हिंसा से पीड़ित पुरूषों के लिए एक सामान्य अनुभव यह था कि उन पर हो रहे अत्याचार की जानकारी होने पर कोई उन पर विश्वास नही करता था कुछ पुरूष पुलिस में सूचना नहीं करना चाहते थे क्योंकि वे अपने साथियों को हिंसा के परिणामों से अवगत नहीं कराना चाहते। हिंसा से पीड़ित पुरूषों के लिए यह समझना ही कठिन हो जाता है कि वे घरेलू हिंसा के शिकार है।

पुरूषों के शक्तिशाली, क्रूर तथा पितृसत्तामक रूढ़ि वादिता और नारीवादी परंपरा जो सिर्फ यही मानती है कि महिलाएं ही घरेलू हिंसा की एकमात्र शिकार है यह स्थिति कभी–कभी एक पुरूष दूसरे पुरूष पर हिंसा की बात स्वीकार नहीं करने देती। हैरानी की बात यह है कि अमेरिका, आयरलैण्ड, दक्षिण अफ्रीका जैसे अन्य देशों में पुरूषों पर घरेलू हिंसा पर शोध कार्य, सर्वेक्षण होत है परन्तु भारत में आज भी पुरूषो पर घरेलू हिंसा पर न तो व्यापक शीघ्र कार्य हुए है और न ही सर्वेक्षण, यहाँ तक कि भारत जैसे देश में जहाँ लिंग समानता की बात की जाती है वहाँ पुरूषों पर भी घर के भीतर घरेलू हिंसा होती है यह बात आसानी से कोई स्वीकार करने को ही तैयार नहीं है। समाज में यही धारणा व्याप्त है कि महिलाएं और केवल महिलाएं घरेलू हिंसा की शिकार है और पुरूष सदैव महिलाओं पर अत्याचार ही करता है। एक महिला अपने ऊपर हो रहे अत्याचार की अपने परिवार तथा समाज में कहकर हिंसा से मुक्त होने के लिए कानून का सहारा लेती है परन्तु पुरूष लोकलाज के भय से अपने ही परिवार में अपनी सच्चाई नहीं बता पाते है। महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा को रोकने के लिए कठोर कानून भी बने है। लेकिन पुरूषो के लिए ऐसे कानून का अभाव है। एक स्त्री यदि अपने पति के खिलाफ समाज या कानून में शिकायत करती है तो उसे बडी ही आसानी से स्वीकार कर लिया जाता है परन्तु पुरूषों की बात को समाज या कानून आसानी से स्वीकार नहीं करता इसी का फायदा उठाकर कई महिलाएं पुरूषों पर तथा उनके परिवार के अन्य सदस्यों पर कई बार अपनी व्यक्तिगत समस्या के चलते झूठा आरोप भी लगा देती हैं। लेखिका तथा समाजशास्त्री 'डा0 ऋतु सारस्वत' इसी विषय पर चर्चा करते हुए 'संपादकीय जागरण' में अपने लेख में कहती हैं कि महिला विरोधी अपराधों के मामलों में झूठी शिकायतों का सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। बीते दिनों चर्चा में आया गाजियाबाद का कथित सामूहिक दुष्कर्म कांड फर्जी निकला। इसी तरह बीते दिनों राजस्थान महिला आयोग ने पुरूषों के विरूद्व झूठी शिकायतें करने वाली 51 महिलाओं को चिन्हित किया,एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था में जहाँ स्त्री के आरोप लगाने भर से पुरूष को अपराधी स्वीकार कर लिया जाता है,वहाँ ऐसी कार्यवाही अचंभित कर देने वाली है परन्तु गंभीर चितन का विषय यह है कि तमाम वैधानिक प्रावधानों के बावजूद यह लक्ष्य अधूरा है।नारीवादी आंदोलन के पैरोकार इसका संपूर्ण दोष पुरूषों पर डाल देते हैं,पर क्या यह उचित है?बीते दशकों में अधंनारीवाद की लहर लैगिंक समानता के वास्तविक अर्थ को छुपाने में कामयाब रही है। लैगिंक समानता का वास्तविक अर्थ बिना किसी लिंगभेद के सभी की समानता की बात करता है परतुं दुर्भाग्य यह है कि इसे सिर्फ महिलाओं की समानता के अधिकारों तक ही सीमित कर दिया गया है।इस संदर्भ में यह तर्क दिया जाता है कि महिलाए ही दोयम दर्जे पर खड़ी हैं तो समानता का संघर्ष उन्हीं के लिए ही होगा।इसमें संदेह नही है कि स्त्री को हाशिये पर धकेला गया है,परतुं इसका तात्पर्य यह भी तो नहीं है कि इसका दोष संसार के समस्त पुरूषों पर मढ़ दिया जाए।नारीवादी समर्थकों ने पुरूषों को निरंतर खलनायक के रूप में चिन्हित किया ह, बिना इस तथ्य पर विचार किए कि देश चाह कोई भी हो ,पुरूष और स्त्री के सामंजस्य के बगैर समाज स्थिर नहीं रह सकता। दुखद यह कि लैगिंक समानता को प्राप्त करने के मार्ग में स्त्री को पीड़िता और पुरूष को शोषक सिद्व करने की आंकाक्षा ने सामाजिक घर्षण उत्पन्न कर दिया है और दोनों ही एक दूसरे के विरूद्व खड़े किये जा रहे हैं। पुरूषों के विरूद्व एक ऐसी घेराबंदी की गई है कि उनकी आवाज किसी को सुनाई नहीं दे रही है , अगर यह सत्य नहीं है तो विधि निर्माण करते समय अनुच्छेद 14, जो किसी भी व्यक्ति के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करने की बात करता है कि अवहेलना की गई? क्यों इस पर विचार नहीं किया गया कि किसी

एक के अधिकारों का संरक्षण दूसरे के अधिकारों का भक्षण ना करता हो। इसी साल जून में 'केरल हाइकोर्ट में न्यायमूति मोहम्मद मुश्ताक के नेतृत्व वाली पीठ ने एक मामले में कहा था कि भारतीय दंड सहिता की धारा 376 लैगिंक रूप से समान नहीं ह। कोर्ट ने चिंता व्यक्त की कि अगर कोई महिला शादी के झूठे वादे के तहत किसी पुरूष को झांसा देती है तो उस पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता,लेकिन इस बात के लिए पुरूष पर मुकदमा किया जा सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि ऐसे कानून को लैगिक समानता की जरूरत है। जैसा कि अपेक्षित था, कोर्ट के इस विचार पर विरोधी स्वर मुखर हो गये। सत्य को नकारने की जिद ने इस वास्तविकता को भी दरकिनार कर दिया है ,तटस्थ कानून के अभाव ने भारत में पुरूषों के विरूद्व झूठे दावों और आरोंपो का अंबार लगा दिया है। अगस्त 2021 में 'दिल्ली उच्चन्यायालय' ने दुष्कर्म के झूठे मामलों की खतरनाक वृद्वि पर अपनी चिंता जाहिर करते हुए कहा था कि ऐसे मामले शिकायतकर्ता को मांगो के आगे झुकने के लिए दर्ज किये जा रहे हैं।

अपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार, 2023

जस्टिस V.S. मलिमका ' फार्मली चीफ जस्टिस ऑफ कर्नाटक एण्ड केरला हाई कोर्ट ने अपराधिक न्यायप्रणाली में सुधारों की अपनी रिपोर्ट में प्रस्ताव दिया कि कानून को जमानती और मिश्रयोग बनाया जाना चाहिए।

भारत में सर्वोच्च न्यायालयों द्वारा रखे गए प्रस्तावों के बावजूद 498ए आज तक बदला नहीं गया है भारत के सर्वोच्च न्यायालयों द्वारा प्रस्ताव की सूची –

- राजीव वर्मा एण्ड V.S. उत्तर प्रदेश राज्य एण्ड अदर, 2004
- सुशील कुमार शर्मा वेस्ट यूनियन ऑफ इन्डिया एण्ड अदर 2005
- पाण्डुरंग कट्टी वेस्ट स्टेट ऑफ कर्नाटक, 2005
- नीरा सिंह वेस्ट स्टेट ऑफ दिल्ली, 2007
- चन्द्रभान वेस्ट स्टेट ऑफ दिल्ली, 2008
- नरेन्द्र कुमार एण्ड अदर वेस्ट स्टेट और झारखण्ड, 2010
- प्रीती गुप्ता एण्ड एक्यर वेस्ट स्टेट और झारखण्ड, 2010
- गीता मल्होत्रा वेस्ट स्टेट ऑफ दिल्ली 2008
- सुनीता गोयल एण्ड एअयर वेस्ट ऑफ पंजाब एण्ड आग्स, 2012
- परमिंदर कौर वेस्ट स्टेट ऑफ पंजाब, 2013
- अरनेश कुमार वेस्ट स्टेट ऑफ बिहार, 2014
- विनय कुमारी वेस्ट स्टेट ऑफ बिहार एण्ड अदर, 2015
- श्रीकांत तमराकर वेस्ट स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, 2015

आई पी.सी. की धारा 182, 199, 211 के तहत झूठे केस के सजा का प्रावधान है। पर यह शायद ही संज्ञान में लिया जाय।

पिछले दो दशकों में 498ए के 'पुरूपयोग' पर अदालतों का समय–समय पर टिप्पणी की गई है।

'सावित्री देवी बनाम रमेश चन्द व अन्य'

2003 में जस्टिस 'जे.डी. कपूर दिल्ली हाई कोर्ट' ने कहा कि इस कानून का दुरूपयोग शादी की नींव पर चोट कर रहा है और पूछा कि क्या यह सामाजिक अनाव नहीं है?

सरिता बनाम आर रामचन्द्र

2002 में जस्टिस बी आर स्वामी आन्ध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने सुझाव दिया कि कानून की असंबोध और जमानती बना देना चाहिए 8 ताकि अशिक्षित महिलाएं कानून का दुरूपयोग न करें और निर्दोष दरोगो को अहंकारी महिलाओं के साथ विवाह करने के बाद की सजा न मिले

प्रीती गुप्ता बनाम स्टेट ऑफ झारखण्ड

2002 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूति समीर भन्डारी ने पूरे प्रावधान पर पुर्नर्विचार करने के लिए आग्रह किया और यह कहा कि गलत इरादों के साथ दर्ज शिकायतें न केवल अदालतों में बाढ ला रही है बल्कि समाज की शक्ति, सद्भाव और खुशी को प्रभावित करते हुए सामाजिक अशान्ति फैल रही है।

गीता महोल्त्रा बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश

जस्टिस ज्ञान सुधा किया में 2012 में कहा कि इस तरह के विवादो में सभी परिवार के सदस्यों में फंसाने की प्रवृत्ति दो वर्ष है–सुप्रीम कोर्ट ऑफ इण्डिया'

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- राम अहुजा सामाजिक समस्याएं रावत पब्लिकेशन जयपुर पृ0क्र0 344
- सॉन्डर्स डेनियल जी 1988 पत्नी दुर्व्यहार पति
- दुर्व्यहार या पारस्परिक मुकाबला अनुभवजन्य निष्काषो पर एक नारीवादी परिप्रेक्ष्य।
- नवभारत टाइम्स पत्रिका।
- गुप्ता, दीपांकर,पॉलिटिकल सोशियोलॉजी इन इंडिया, ओरिएंट लोगमैन, वर्ष 2000
- सेल्यएस,एस,एमपावरमेंट एंड सोशिल डेंवलपेंट इश्यू इन कम्यूनिटी पॉर्टिसिपेन,कनिष्का पब्लिशर्स, नई दिल्ली वर्ष 2003
- बंदोपाध्याय, डी, और मुखर्जी, अनिता, एमपावरिग विमिन पंचायत मेम्बर्रा, राजीव गॉधी फाउंडेशन, नई दिल्ली वर्ष 2001।
- औरत अस्मिता एवं अरविंद जैन वर्ष 2002।
- हमारी पारिवारिक व्यास्था, बी,सी, सीता रमैया।
- नारी अधिकार, शान्ति कुमार स्याल, अंसी आत्माराम एण्ड सन्स नई दिल्ली वर्ष 2001।
- वैवाहिक हिंसा एवं भारतीय अस्मिता आदित्य पब्लिकेषन बीना वर्ष 1997।
- भारत मे परिवार विवाह और नातेदारी जयपुर रावल पब्लिशर्स ।
- सामाजिक समस्याएं रावत पब्लिकेशन जयपुर,1994 अहूजा राम
- अपराधशास्त्र एवं अपराधिक, प्रशासन कमल प्रकास,अगरा 1987–88
- कुमार, विनोद एवं शर्मा, एस0के0
- डा0 रितु सारस्वत, संपादकीय जागरण
- जनसत्ता 5 अगस्त 2020 डा0 रितु सारस्वत
- लुप्री, यूजीनय ग्रैंडिन, ऐलेन (2004)। ''पुरुषों के खिलाफ अंतरंग साथी का दुर्व्यवहार''
- दास दासगुप्ता, शमिता(नवंबर 2002)। ''अंतरंग विषमलैंगिक संबंधों में महिलाओं द्वारा गैर–घातक हिंसा के उपयोग को समझने के लिए एक रूपरेखा''
- वाटसन, डोरोथीय पार्सन्स, सारा (2005). आयरलैंड में महिलाओं और पुरुषों का घरेलू दुर्व्यवहार
- मैककारिक, जेसिकाय डेविस–मैककेबे, कैट्रिओनाय हर्स्ट–विन्थ्रोप, सारा (1 फरवरी, 2016)। ''महिला द्वारा अंतरंग साथी द्वारा की गई हिंसा के बाद आपराधिक न्याय प्रणाली के पुरुषों के अनुभव''
- रॉबर्टसन, क्रिस्टनय मुराच्वर, तमार (जुलाई 2009)। ''महिला और पुरुष साथी हिंसा से जुड़े दृ दिष्टकोण और गुण''
- ई. कैल्डवेल, जेनिफरय सी. स्वान, सुजैनय डायने वुडब्राउन, वी (1 जनवरी, 2012)। ''अंतरंग साथी हिंसा के परिणामों में लिंग अंतर''
- स्वान, सुजैन सी.य गैम्बोन, लौरा जे.य कैल्डवेल, जेनिफर ई.य सुलिवन, टैमी पी.य स्नो, डेविड एल. (2008)। ''पुरुष अंतरंग साझेदारों के साथ महिलाओं द्वारा हिंसा के प्रयोग पर शोध की समीक्षा''
- लयन, मैरिएन इनेजय लोरेंटजेन, जोर्गेन (2019)। ''अंतरंग संबंधों में हिंसा के पुरुषों के अनुभव''